संख्या– 1360 /38–7–2009–एनआरईजीए/09

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2009

विषयः–वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के कियान्वयन हेतु समय–सारणी का निर्धारण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–1295/38–7–09–एनआरईजीए/09, दिनांक: 25–05–2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य हेतु दिशा–निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य योजना के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय सारणी का पालन सुनिश्चित किया जाये:–

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक आदर्श गॉव का कार्य 01 जून से प्रारम्भ कर दिया जाये।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन का कार्य दिनांक: 01 जून से 30 जून के मध्य ग्राम सभा की खुली बैठक में करा लिया जाये।

(3) हैण्डपम्पों के सोकपिट निर्माण का कार्य माह जून में पूर्ण कर लिया जाये तथा ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित 05 सोकपिट का विभाजन यथा सम्भव इस प्रकार किया जाये कि ग्राम पंचायत के हर राजस्व ग्रामों में कम से कम 1–1 सोकपिट का निर्माण अवश्य हो जाये।

(4) बागवानी के तहत चयनित लाभार्थियों के खरीफ फसल हेतु चयन/योजना का निर्माण, अनुमोदन तथा वित्त पोषण का कार्य माह जून में करा लिया जाये ताकि ऋतु आधारित गतिविधि को समय से पूरा किया जा सके।

(5) रेशम पालन हेतु चयनित 38 जनपदों में वर्षा ऋतु के पूर्व ही वृक्षारोपण की तैयारी कर ली जाय।

(6) खेत–तालाब का कार्य भी दिनांक 15 जून तक प्रारम्भ करा लिया जाये। यह प्रयास किया जाये कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक तालाब के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये।

(7) बुन्देलखण्ड, विन्ध्याचल, चन्दौली व इलाहाबाद जनपदों के लिये प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए गढ्ढे के निर्माण का कार्य 15 जून तक पूरा करा लिया जाये ताकि वर्षा ऋतु आते ही वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

(8) जेट्रोफा की खेती जिन बंजर भूमि पर की जानी प्रस्तावित हो उसकी तैयारी भी दिनांक 15 जून तक कर ली जाये।

(9) पुराने तालाबो व कुओं की सफाई का कार्य दिनांक 01 जून से 30 जून के मध्य युद्ध स्तर पर कराया जाये ताकि वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व यह कार्य पूरा हो सके।

(10) सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि सप्ताह में कम से कम एक बार उपरोक्त निर्देशों की स्थिति की समीक्षा अवश्य करें। द्वितीय रविवार को आयोजित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना अधिकारी/संयुक्त विकास अधिकारी की बैठक में उपरोक्त प्रत्येक बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

(11) मण्डलायुक्तों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे पक्ष में एक बार जनपदवार प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से समयबद्व अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1360 (1)/38–7–2009 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।